(6)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 34.....सन् 2017–18

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–संजय कुमार मेहता प्रतिपक्षीः– महेन्द्र राय

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– संजय कुमार मेहता पिता स्व0 चन्द्र नारायण मेहता ग्राम+पोस्ट–अंधराठाढ़ी, टोले–हरिपट्टी जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षीः– 1–महेन्द्र राय पिता– मौजे लाल राय, ग्राम+पोस्ट–अंधराठाढ़ी, जिला–मधुबनी।	आदेश पर की गई कार्रवाई
29.9.18	प्रस्तुत वाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी को दिये गये परिवाद अनन्य संख्या–405110106111701909 उनके ज्ञापांक–40511–06657 दिनांक–20.11.2017 से आवेदक श्री संजय कुमार मेहता के परिवाद की छाया प्रति आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त हुआ। परिवाद के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। आवेदक के रूप में श्री संजय कुमार मेहता पे0 स्व0 चन्द्र नारायण मेहता ग्राम+पोस्ट–अंधराठाढ़ी, टोले–हरिपट्टी, जिला–मधुबनी ने वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी किया। प्रतिपक्षी के रूप में श्री महेन्द्र राय पे0 मौजेलाल राय, ग्राम–अंधराठाढ़ी, पोस्ट–अंधराठाढ़ी, जिला–मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी के साथ वकालतन पक्ष प्रस्तुत किया गया। **आवेदक की ओर से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिये गये आवेदन का मुख्य अंशः–** आवेदक ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद आवेदन दिया कि ठाढ़ी ग्राम में महेन्द्र राय पे0 स्व0 मौजे लाल राय साकिन–अंधराठाढ़ी दक्षिण ने ग्राम ठाढ़ी स्थित सरखरा पोखरा जो सरकारी है, जिसका खाता–634 खेसरा–5621 रकवा 5 बिगहा 18 कट्ठा जो राज दरभंगा के पंजी में बकास्त है उसके बाद बिहार सरकार के अधिन हुआ जिसे महेन्द्र राय ने अपने दवंगता से गलत ढ़ंग से जालसाजी वो धोखाधरी कर दुर्गानन्द झा से अपने पिता मौजे लाल राय पे0 स्व0 छीतन राय के नाम केवाला करा कर अंचल महकमा को अपने मेल में लेकर वर्ष 1960 में 4एच का मुकदमा भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के यहॉ भेजा जिसे पास कर लगान निर्धारण करने का आदेश दिनांक–26.12.60 ई. को दिया जिसे बगैर अंचल अधिकरी के आदेश से रजिस्टर–II में कर्मचारी ने **जमाबंदी नं. 2117** कायम किया जो मौजे लाल राय पे0 स्व0 छीतन राय साकिन ठाढ़ी के नाम चल रही है जिसे एक्जाई कर **जमाबंदी नं. 1617 है।** पंजी में अंचल अधिकारी का कोई आदेश नहीं है। इसी पोखरा में कई भगवान का मूर्ति निकला है। उक्त पोखरा से लगभग सलाना एक लाख का क्षति राज्य सरकार को हो रही है जो लगभग 1960 ई. से धोखाधरी से गवन किया जा रहा है। जनहित में पोखरा को सरकार के अधीन लिया जाय तथा गलत जमाबंदी को रद्द किया जाय एवं गवन राशि की वसूली की जाय। **प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– प्रश्नगत जमीन मौजा– अंधराठाढ़ी थाना–अंधराठाढ़ी जिला मधुबनी का खाता संख्या–684 खेसरा संख्या– 5621 रकवा 6 बीघा 5 कट्ठा 2 धुर पोखरा कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान शंकर मलाह वल्द झोंटी दर्ज है। 2– कैडेस्ट्रल सर्वे इन्ट्री में रैयती होने की बात गलत दर्ज हो गया जिस वजह से भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा द्वारा गैर मजरूआ खास घोषित करने के लिए मुंसिफ न्यायालय में हकीयत मोकदमा नं. 1325/1903 राज दरभंगा–बनाम–शंकर मलाह दायर	

(7)

किया। जो सुलहनामा के आधार पर समाप्त हुआ। सुलहनामा डिक्री के मुताबिक **प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास घोषित हुआ** वो राज दरभंगा के बकास्त खाता नं. 01 पर चला आया।

3– प्रश्नगत खेसरा में कुछ जमीन भरण हो गया जिसे भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा द्वारा आद्या ओझाईन जौजे सतन झा को रकवा 3 कट्ठा 11 धुर 1348 फसली साल बंदोवस्त कर दखल दे दिया वो गुलाब मिसराईन जौजे विश्वम्भर मिश्र को रकवा 3 कट्ठा 11 धुर 1342 फसली साल में बन्दोवस्त कर दखल दे दिया।

4– उक्त बंदोवस्ती के बाद प्रश्नगत खेसरा नं. 5621 का बकिये रकवा 5 बीघा 18 कट्ठा को महेन्द्र राय विपक्षी के पिता मौजे लाल राय के परिवार द्वारा दखल कर लिया गया।

5– वर्ष 1944 ई.में भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा ने प्रश्नगत जमीन 9 वर्षो के लिए मो0 750/–रू0 लेकर ट्रेस पास बन्दोवस्ती मौजे लाल राय के नाम से कर दिया। बाद में राज दरभंगा द्वारा वजरिये मार्फत पॉवर ऑफ एटॉर्नी दुर्गानन्द झा असिसटेन्ट मैनेजर बवसूल जरसेमन मुनासिब वजरिये निबंधित केवाला दिनांक– 7.11.1955 द्वारा मौजे लाल राय को बिक्री कर दखल दे दिया। बाद में मौजे लाल के नाम से रेन्ट फिक्सेशन होकर जमाबंदी नं. 2117 कायम हुआ जिसका वे मालगुजारी अदाय कर रसीद प्राप्त करते आये।

6– बाद में जमाबंदी संख्या–2117 एक्जाई होकर जमाबंदी संख्या–1617 कायम हुआ जो अद्यतन चल रहा है।

7– उक्त जमीन के निसबत बबे लाल चौधरी ने अपने सम्बन्धी ठक्कन चौधरी के नाम से शंकर मलाह के नाती नेवी मुखिया से दिनांक–10.09.1938 को केवाला तामिल करवा लिया। बाद में प्रश्नगत खेसरा नं. 5621 रकवा 6 बीघा 5 कट्ठा 2 धुर के संबंध में बबे लाल चौधरी ने हकीयत वाद संख्या–97/1961 मौजे लाल राय वगैरह के विरूद्ध मुंसिफ मधुबनी न्यायालय में हकीयत घोषित करने एवं दखल कब्जा सम्पुष्टि के लिए वाद दायर किया जो खारिज कर दिया गया।

8– प्रश्नगत भूमि पर सरकार द्वारा 4 (एच) के अंतर्गत वाद संख्या–1/93–94 विपक्षी के पिता के विरूद्ध चलाया गया जिसमें मौजे लाल राय का दखल जायज पाया गया वो जमाबंदी भी जायज पाकर वाद समाप्त कर दिया गया।

9– प्रश्नगत जमीन का **रिविजनल सर्वे खतियान मौजे लाल राय पिता छीतन राय खाता नं. 1822 खेसरा नं. 9825 पोखरा करके बना है** वो अभी तक प्रश्नगत खेसरा 5621 रकवा 5 कट्ठा 18 धुर का जमाबंदी मौजे लाल राय के नाम से चल रहा है जिसका मालगुजारी अदाय कर रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व एवं दखल कब्जा जायज है तथा विपक्षी के पिता के नाम से जमाबंदी चलता आ रहा है इसलिए उक्त वाद निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी की ओर से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कथन के समर्थन में विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया।

<u>अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी के पत्रांक–994 दिनांक–01.12.2017 से प्रस्तुत पक्षः–</u>

1–प्रश्नगत भूमि का खतियानी विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा एवं थाना संख्या	खतियानी रैयत का नाम	खाता	खेसरा	किस्म	रकवा
अंधराठाढ़ी 289	शंकर मल्लाह वल्द झोंटी कॉम–मल्लाह	684	5621	पोखर	6–5–2–0 (छःबीघा पॉच कट्ठा दो धूर)

पंजी–2 के अनुसार उक्त भूमि की जमाबंदी मौजे लाल राय पिता छीतन राय के नाम से 2117 पर रकवा 5–18–0–0 (पॉच बीघा अठारह कट्ठा) दर्ज था परन्तु उक्त जमाबंदी **के सम्पूर्ण रकवा एवं लगान को जमाबंदी संख्या– 1617 पर स्थानान्तरित कर दिया गया, लेकिन स्थानान्तरण किनके आदेश से हुआ अंकित नहीं है।** वर्तमान में जमाबंदी संख्या–1617 में कुल रकवा 12–2–9–0 (बारह बीघा दो कट्ठा नौ धूर) है। जमाबंदी मौजे लाल राय पिता छीतन राय के नाम से दर्ज है, जो परिवाद में अंकित महेन्द्र राय के पिता

हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर महेन्द्र राय का दखल कब्जा है।

निष्कर्षः—

आवेदक ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद आवेदन दिया कि ठाढ़ी ग्राम में महेन्द्र राय पे0 स्व0 मौजे लाल राय साकिन—अंधराठाढ़ी दक्षिण ने ग्राम ठाढ़ी स्थित सरखरा पोखरा जो सरकारी है, जिसका खाता—634 खेसरा—5621 रकवा 5 बिगहा 18 कट्ठा जो **राज दरभंगा के पंजी में बकास्त है** उसके बाद बिहार सरकार के अधिन हुआ जिसे महेन्द्र राय ने अपने दवंगता से गलत ढंग से जालसाजी वो धोखाधरी कर दुर्गानन्द झा से अपने पिता मौजे लाल राय पे0 स्व0 छीतन राय के नाम केवाला करा कर अंचल महकमा को अपने मेल में लेकर वर्ष 1960 में 4एच का मुकदमा भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के यहाँ भेजा जिसे पास कर लगान निर्धारण करने का आदेश दिनांक—26.12.60 ई. को दिया जिसे बगैर अंचल अधिकरी के आदेश से रजिस्टर—II में कर्मचारी ने **जमाबंदी नं. 2117** कायम किया जो मौजे लाल राय पे0 स्व0 छीतन राय साकिन ठाढ़ी के नाम चल रही है जिसे एक्जाई कर **जमाबंदी नं. 1617 है।** पंजी में अंचल अधिकारी का कोई आदेश नहीं है। इसी पोखरा में कई भगवान का मूर्ति निकला है। उक्त पोखरा से लगभग सलाना एक लाख का क्षति राज्य सरकार को हो रही है जो लगभग 1960 ई. से धोखाधरी से गवन किया जा रहा है। जनहित में पोखरा को सरकार के अधीन लिया जाय तथा गलत जमाबंदी को रद्द किया जाय एवं गवन राशि की वसूली की जाय।

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं इनका प्रतिवेदन है कि पंजी—II के अनुसार उक्त भूमि की जमाबंदी मौजे लाल राय पिता छीतन राय के नाम से 2117 पर रकवा 5—18—0—0 (पाँच बीघा अठारह कट्ठा) दर्ज था **परन्तु उक्त जमाबंदी के सम्पूर्ण रकवा एवं लगान को जमाबंदी संख्या— 1617 पर स्थानान्तरित कर दिया गया, लेकिन स्थानान्तरण किनके आदेश से हुआ अंकित नहीं है।**

आवेदक की ओर से कोई भी लिखित पक्ष, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उनके आवेदन की पूष्टि हो सके। प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान रैयती होने का दावा किया गया है।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि पंजी—II में उक्त भूमि की जमाबंदी मौजे लाल राय के नाम से जमाबंदी संख्या—2117 में दर्ज था परन्तु **उक्त जमाबंदी के सम्पूर्ण रकवा एवं लगान को जमाबंदी संख्या—1617 पर स्थानान्तरित कर दिया गया लेकिन स्थानान्तरण किनके आदेश से हुआ, अंकित नहीं है।**

रिविजनल सर्वे खतियान रैयती कायम है। रिविजनल सर्वे खतियान के संशोधन का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन जमाबंदी स्थानान्तरण के बिन्दु पर संदेह उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति में सारी बिन्दुओं की जाँचोपरान्त उचित निर्णय हेतु उक्त वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय में रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकारगण अपना पक्ष भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी को निदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर साक्ष्य के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में पक्ष रखेंगे। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर एवं अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी को भेजें। आदेश की प्रति जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी को भी उनके अनन्य वाद के आलोक में भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

लेखापित

29.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।
29.9.18